

केंद्रीय विद्यालय नं. 3 वायु सेना स्थल चकेरी कानपुर

KENDRIYA VIDYALAYA NO. 3 AFS CHAKERI KANPUR

दिनांक 26-08-2024

प्रवेश पंजीकरण संबंधित सूचना

- सूचित किया जाता है कि सत्र 2024-25 के लिये कक्षा 2 से 8 की सीमित रिक्तियों में प्रवेश हेतु पंजीकरण फॉर्म विद्यालय की वेबसाइट <https://no3chakeri.kvs.ac.in> अथवा विद्यालय से निशुल्क प्राप्त कर दिनांक 26-08-2024 से 28-08-2024 तक प्रातः 11:30 बजे से अपराहन 01:30 बजे तक जमा किए जा सकते हैं।
- सभी प्रवेश केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा जारी प्रवेश दिशा-निर्देशिका 2024-25 एवं समय-समय पर जारी स्पष्टीकरणों के अनुसार ही किए जाएंगे।
- सभी प्रवेश दिनांक 29-08-2024 से 31-08-2024 तक ही लिए जाएंगे। अंतिम तिथि 31-08-2024 के बाद प्रवेश देना संभव नहीं होगा।
- पंजीकरण फॉर्म के साथ निम्न दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति लगाना अनिवार्य है।
 - बच्चे का नाम सहित जन्म प्रमाणपत्र (नगर निगम के जन्म मृत्यु प्रमाणपत्र कार्यालय द्वारा जारी ऑनलाइन प्रमाणपत्र की कॉपी / सेवा पुस्तिका की प्रमाणित प्रति)
 - निवास प्रमाणपत्र (आधार कार्ड / मतदाता पहचान पत्र / फोन बिल / बिजली बिल / गैस कनेक्शन / ड्राइविंग लाइसेंस / तहसील द्वारा जारी निवास प्रमाणपत्र)
 - बच्चे का जाति प्रमाणपत्र (ऑनलाइन कॉपी, यदि लागू हो)
 - बच्चे की ब्लड ग्रुप रिपोर्ट
 - बच्चे का आधार कार्ड
 - अभिभावक का ईमेल एवं मोबाइल नंबर
 - सरकारी विभाग द्वारा जारी नवीनतम सर्विस प्रमाणपत्र एवं वेतन पर्ची, यदि लागू हो (डीडीओ के नाम, पद, हस्ताक्षर एवं फोन नं. के साथ)
 - सरकारी विभाग द्वारा जारी कर्मचारी के स्थानांतरणों का विवरण, यदि लागू हो।
 - विद्यालय से आवास की दूरी का प्रमाणपत्र
 - मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी दिव्यांग (विकलांग) प्रमाणपत्र, यदि लागू हो
 - सरकार द्वारा जारी आय प्रमाणपत्र, यदि लागू हो
- शुल्क का विवरण :-

शुल्क विवरण		कक्षा 2 के लिए	कक्षा 3 से 8 के लिए
1	प्रवेश शुल्क	रु. 25	रु. 25
2	विद्यालय विकास निधि - अप्रैल से सितंबर तक रु. 500 प्रति माह की दर से	रु. 3000	रु. 3000
3	कंप्यूटर फीस - अप्रैल से सितंबर तक रु. 100 प्रति माह की दर से	-	रु. 600
कुल देय शुल्क		रु. 3025	रु. 3625

6. प्रवेश हेतु अभिभावक को नियमानुसार निर्धारित शुल्क का भुगतान यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में ऑनलाइन अथवा बैंक में दिनांक 31-08-2024 तक जमा करना अनिवार्य है। अन्यथा प्रवेश स्वतः ही निरस्त माना जाएगा।
7. केन्द्रीय विद्यालय संगठन के पत्रांक F. 110240/04/2013/KVS/Budget दिनांक 19-03-2013 के प्रावधानों के अनुसार सेवा श्रेणी 1 से 4 के अंतर्गत आने वाले अभ्यर्थियों (सरकारी कर्मचारियों) को सामान्यतः किसी प्रकार की छूट देना संभव नहीं होगा। उक्त छूट प्राप्त करने हेतु सेवा श्रेणी 1 से 4 तक के आवेदक को अपने विभाग से बाल शिक्षा भत्ता की प्रतिपूर्ति का अधिकारी न होने का विभागीय डी.डी.ओ. द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

नोट :

- 1) पंजीकरण फॉर्म एवं सभी प्रमाणपत्रों में बच्चे एवं उसके माता-पिता के नाम एवं अन्य विवरण में समानता होनी चाहिए अन्यथा प्रवेश देना संभव नहीं होगा।
- 2) एक बच्चे के लिए केवल एक ही फॉर्म भरें अन्यथा फॉर्म निरस्त माना जाएगा।
- 3) समय से फॉर्म न भरने अथवा उपस्थित न होने पर प्रवेश देना संभव नहीं होगा।
- 4) अधिक जानकारी के लिए कृपया विद्यालय की वेबसाइट <https://no3chakeri.kvs.ac.in> का अवलोकन करें अथवा विद्यालय में संपर्क करें।

प्राचार्य

